ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 67-68

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

''अंबेडकर और उनकी दूरदर्शिता''

मारूति शुक्ला

एम0ए0 (हिन्दी), नेट, C/o डॉ0 जे0पी0 शुक्ला, इनकम टैक्स आफिस के पीछे सिविल लाइन–बस्ती, (उ0प्र0) भारत

Received- 17.09.2019, Revised- 20.09.2019, Accepted - 24.09.2019 E-mail: marutishukla90@gmail.com

सारांश : *स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ0 भीमराव रामजी अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉ0 अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश) में स्थित महूनगर में हुआ था। वे हिंदू महार जाति के थे जो तब अछूत कही जाती थी। उनके बचपन का नाम भिवा था। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करपा पड़ा था। छुआछूत के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयाँ आईं। बाल–विवाह की कुप्रथा के चलते 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी रमाबाई से हुई, जो तब स्वयं 9 साल की थीं। भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा शहर के गवर्न्मेण्ट हाईस्कूल में शुरू हुई। अपने परिवार के मुंबई आने पर उनकी माध्यमिक शिक्षा एलफिंस्टन रोड पर स्थित गवर्न्मेण्ट हाईस्कूल में हुई। यह उनकी बुद्धिमत्ता एवं काबिलियत ही थी कि उन्होंने उन प्रतिकूल परिस्थितियों में विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की।*

कुंजी शब्द – मोहताज, महारजाति, सामाजिक भेदभाव, छूआछूत, बालविवाह, कुप्रथा, बुद्धिमता, काबिलियत।

विपुल प्रतिभा के धनी अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और London School of Economics दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त की एवं विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए।

अपनी आत्मकथा 'Waiting for a Visa' में अंबेडकर जी के छुआछूत, जाति के आधार पर भेदभाव की स्वयं पर बीती घटनाओं का वर्णन किया है। 'उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें विद्यालय में कक्षा में सबसे अलग बिलकुल कोने की सीट दी जाती थी जो बाकी बच्चों से दूर हो। प्यास लगने पर उन्हें नल छूने की भी मनाही थी। किसी नल को छू सकने का अधिकार पाए व्यक्ति द्वारा नल चलाया जाता था तब वे जल ग्रहण कर पाते थे।1

एक ऐसी ही और घटना इस प्रकार है–

''सन् 1901 में अपने पिता के बुलाने पर जो उस समय गोरेगाँव में कैशियर थे, 9 वर्षीय अंबेडकर जी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने सतारा से गोरेगाँव गए। उनके साथ उनके बड़े भाई और भतीजा भी थे। समृद्ध परिवार से होने के कारण तीनों अच्छी वेषभूषा में थे, इसलिए गोरेगाँव के स्टेशन मास्टर ने उन्हें ब्राह्मण जाति का समझा। उनकी असली जाति जानने पर उसने भी उनसे मुँह फेर लिया। चूँकि उनके आने का पत्र उनके पिता को समय पर नहीं मिला इसलिए उन्हें स्टेशन पर लेने कोई नहीं आया। परिणामस्वरूप उन्हें बैलगाड़ी खोजनी पड़ी। कई में से सिर्फ एक गाड़ीवाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसने भी यह शर्त रखी कि यात्री स्वयं बैलगाड़ी चलायेगें से मना कर दिया क्योंकि वे अछूत जाति के थे।2

इन घटनाओं से न केवल अंबेडकर जी के स्वाभिमान बल्कि उनके कोमल मस्तिष्क और सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की ठान ली।

अंबेडकर द्वारा भोगे गये इस यथार्थ के गहरे प्रभाव के कारण उन्होंने संविधान में 'अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) एवं अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का निषेध)3 को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थान दिया। ये उनकी दूरदर्शिता ही मानी जायेगी क्योंकि वे चाहते थे कि भविष्य के भारत में ये कुरीतियाँ न फैलने पाएँ। उनका यह प्रयास काफी हद तक सफल भी हुआ है।

आरक्षण का प्रावधान अंबेडकर जी ने पिछड़ी जातियों के उत्थान और उनको समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए संविधान में रखा। लेकिन अपनी बुद्धिमता और दूरदर्शिता के कारण उन्हें इस बात का अंदेशा था कि आगे चलकर इस प्रावधान का दुरूपयोग हो सकता है। अतः उन्होनें इसकी समय सीमा केवल 10 वर्ष के लिए निर्धारित की। उनका यह सोचना सही था क्योंकि आज के भारत में आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को मिल रहा है जबकि निम्न वर्ग और गरीब होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थ और वोट की राजनीति के चलते इसकी समय सीमा बढ़ाती ही जा रही है। इसी के चलते समाज के अन्य वर्ग भी आरक्षण की मांग पर उतर आए हैं।

अंबेडकर जी ने कई धर्म–ग्रंथों, इतिहास का गहन अध्ययन किया था और अंग्रेज सरकार के शासन में हो रहे अत्याचारों को स्वयं देखा और महसूस किया था। लगभग मुगल काल से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्य जन को नहीं थी। चाटुकारों का बोलबाला था, शासन जो

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

चाहता था वहीं ब्रह्मवाक्य होता था। अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न के बराबर कर दी। जनता पर बेशुमार जुल्म किये। प्रेमचंद की पुस्तक 'सोज़े–वतन' का अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त होना और जला दिया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का एक उदाहरण है। अंबेडकर जी निश्चित ही इन सभी बातों से परिचित रहे होगें। भविष्य के भारत में अभिव्यक्त की इस स्वतंत्रता पर काले बादल न मँडराएँ और लोकतंत्र की भावना भारत में सर्वथा फले–फूले, इस कारण उन्होंने संविधान में 'अनुच्छेद 19(1)() (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)4 के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया।

अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में बेगारी प्रथा का प्रचलन था। इसके तहत अंग्रेज अफसर एवं जमींदार निम्न वग के लोगों से जबरन मजदूरी करवाते थे, सामान उठवाते थे और सेवा करवाते थे। इन सबके बदले में उन मजदूरों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। यह गुलामी का एक नया स्वरूप था। इन सभी चीजों से अंबेडकर जी भली–भांति परिचित थे। इन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने भारतीय संविधान में 'अनुच्छेद 23 एवं 24 (शोषण के विरूद्ध अधिकार)5 को स्थान दिया। उनको इस बात का आभास था कि आगे चलकर भी ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इन पर अभी रोक लगाना अनिवार्य है। यह उनकी दूरदर्शिता का ही एक उदाहरण है।

हिंदू धर्म की निम्न जाति का होने के कारण डॉ0 अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव, छुआछूत एवं अपने ही धर्म के आडंबरों को झेलना पड़ा था। साथ ही उन्होंने अंग्रेजो के शासन में जबरदस्ती धर्म–परिर्वतन करवाने की कुप्रथा को फलते–फूलते देखा। उन्होंने धर्माडम्बरों का खंडन करते हए स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्हें यह आभास था कि भविष्य में भी यह कुप्रथा अपना सिर उठा सकती है जिसकी चपेट में आम जनता ही होगी। धर्म के आधार पर भेदभाव न हो इसके लिए उन्होंने 'अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)'' को भारतीय संविधान में जगह दी। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि हर व्यक्ति अपने धर्म का आचरण एवं प्रचार–प्रसार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण भारत में अनेक धर्म होते हुए भी एकता और सर्वधर्म सम्भाव का वास है।

डॉ0 अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का मूल रूप ही बहुत व्यापक था जिसमें लगभक हर बात को विस्तारपूवक लिखा गया। इसके बाद भी डॉ0 अंबेडकर का ऐसा मानना था कि संविधान में आगे चलकर भी बहुत–सी चीजें जोड़ने या हटाने की आवश्यकता पड़ सकती। उनका यह पूर्वानुमान गलत साबित नहीं हुआ। भारतीय संविधान में अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन हो सके हैं जिनमें से एक उदाहरण 'राष्ट्रीय माल और सेवा कर (Goods & Services Tax-GST- 101वाँ संशोधन)7 है। जनता को शोषण से बचाया जा सकें और संविधान में भविष्य में चीजें सही ढंग से बताई जा सकें इसके लिए डॉ0 अंबेडकर ने 'अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)8 को भारतीय संविधान में महत्त्वपूर्ण दजा दिया और स्वयं ही इस अनुच्छेद को 'भारतीय संविधान की आत्मा' कहा।

डॉ0 अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का पता जम्मू–कश्मीर से जुड़े दो महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों से भी चलता है। 'अनुच्छेद 370'9 जो कि जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, वहाँ के लिए अलग संविधान, अलग झण्डा आदि लागू करने की अनुमति देता है एवं 'अनुच्छेद 35A'10 जो कि अन्य किसी भी भारतीय को जम्मू–कश्मीर में संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता है; ये दोनों ही अनुच्छेद संविधान में डॉ0 अंबेडकर की इच्छा के विरूद्ध जोड़े गए थे। उन्होंने इन दोनों अनुच्छेदों का पुरजोर विरोध किया था। उनका यह मत था कि आगे चलकर इस प्रकार के अनुच्छेद भेदभावकारी साबित होगें एवं ये अनुच्छेद देश की एकता और अखंडता में विकार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जम्मू–कश्मीर का सुचारू रूप से विकास भी संभव नहीं हो पाएगा। उनकी दूरदृष्टि सही साबित हुई क्योंकि आज भी जम्मू–कश्मीर में असुरक्षा एवं असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है जिसे हम सुलझा नहीं पाए हैं।

इस प्रकार एक दूरदर्शी विधिवेत्ता राजनीतिज्ञ के साथ–साथ आम जन के मनोभावों, परिस्थितियों को भली–भांति जानने वाले डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी जैसा व्यक्ति हमारे स्वतंत्र भारत की नींव के पत्थर जैसा थे, इस बात का हम सभी को हमेशा गर्व रहेगा। उनकी दूरदर्शिता, रचनात्मकता, बुद्धिमता के प्रकाश में हम भारत की अखण्डता और संप्रभुता की रक्षा करने में सफल होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.& 2 Waiting for a Visa - Autobiography by Dr. B.R. Ambedkar 3, 4, 5, 6 Constitution of India
7. Wikipedia - GST 8, 9, 10 - Constitution of India

*****